

टी०के०एम० केस संख्या-26(P)/2019-20

आदेश पर की गई कार्रवाई की संक्षिप्त टिप्पणी एवं तारीख

क्रम संख्या एवं तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

18 03 2020

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के पत्रांक-216, दिनांक-05.03.2020 द्वारा टाउन खासमहाल लीज जमीन का नामान्तरण अभिलेख संख्या 26(P)/2019-20 मूल रूप में अनुशंसा के साथ प्राप्त है। सर्वसाधारण नोटिस निर्गत किया है। लीज भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है -

मौजा/मोहल्ला	वार्ड संख्या	होलिडिंग संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा
सदर बाजार नगरपालिका	08 पुराना, नया 12	238 / 1520, नया खाता संख्या 03	पुराना 2319, नया 170	0.06 एकड़

(1) आवेदक द्वारा आवेदित भूमि लीज का है। टी०के०एम० केस अभिलेख संख्या-920(एल)/94-95 द्वारा 01.04.95 से अगले 30 वर्षों के लिए आवसीय प्रयोजन हेतु श्री लालु प्रसाद सुल्तानिया, पिता- स्व राधा कृष्ण सुल्तानिया के नाम पर लीज नवीकृत है। ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या-07 पर दर्ज है।

(2) आवेदक को यह जमीन आपसी बटवारा में प्राप्त हुआ है। बटवारा से संबंधित कागजात अभिलेख के साथ सलंगन है।

(3) आवेदक को आवेदित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा ~~सु~~ (मकानसहन) है। जांच के समय अन्य अंशधारो के द्वारा आपति संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

संबंधित राजस्व कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री विजय कुमार सुल्तानिया, पिता- स्व० लालु उर्फ लालु प्रसाद सुल्तानिया, निवासी सदर बाजार, चाईबासा के नाम पर 01.04.1995 से अगले 30 वर्षों के लिए मौजा/मोहल्ला- सदर बाजार, नगरपालिका, वार्ड संख्या- 08 पुराना, नया 12, होलिडिंग संख्या- 238/1520, नया खाता संख्या 03, प्लॉट संख्या- पुराना 2319, नया 170, रकवा- 0.06 एकड़, लगान 07.20 रुपये अलावे सेस पर आवसीय प्रयोजनार्थ हेतु लीज भूमि उत्तराधिकारी नामान्तरण की स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापित।

खासमहाल पदाधिकारी,
सदर चाईबासा।

खासमहाल पदाधिकारी,
सदर चाईबासा।

शुद्धि पत्र निर्गत किया गया एवं अभिलेख की कार्रवाई बन्द किया जाता है।

खासमहाल पदाधिकारी,
सदर चाईबासा।

शुद्धि पत्र निर्गत
नाम- राधा कृष्ण सुल्तानिया
काम-
19/03/2020